भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2671
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र

2671. सुश्री इकरा चौधरीः
श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री नीरज मौर्यः
श्री लालजी वर्माः
श्रीमती रुचि वीराः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि फसल बीमा ऐप में तकनीकी खामियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के अभाव के कारण किसान 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देने में सक्षम नहीं हैं, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या खरीफ सीजन, 2026 से 'जंगली जानवरों के हमलों' को शामिल किए जाने की घोषणा के बावजूद वर्तमान में नीलगाय तथा आवारा पशुओं द्वारा नष्ट की गई फसलों के लिए किसानों को अंतरिम राहत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव/योजना है, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर जौनपुर में इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी आधारों पर धान की फसल के जलमग्न होने संबंधी बीमा दावों को अस्वीकार करने वाली बीमा कंपनियों के विरुद्ध कोई केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र, यदि कोई हो, स्थापित किया गया है;

(घ) बीमा कंपनियों द्वारा जौनपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव के कारण धान की फसल को हुई क्षति से संबंधित कितने बीमा दावे अस्वीकृत किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी बीमा कंपनियों के लाभ पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा किसानों द्वारा देय प्रीमियम अंशदान को कम करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय आपदाओं और फसलोपरांत नुकसान के मामलों में, जहां दावों का निपटारा व्यक्तिगत खेत/किसान के आधार पर किया जाता है, किसानों को घटना होने के 72 घंटों के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके नुकसान की सूचना देनी होती है। इसके अतिरिक्त, फसल बीमा ऐप के माध्यम से, राज्य सरकार, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों आदि को भी सूचना दी जा सकती है। इन उपलब्ध विकल्पों के मद्देनजर, समय सीमा को 72 घंटों से अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाली क्षति, जिसे रोका जा सकता है, पहले इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं थे। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर जंगली जानवरों द्वारा होने वाली क्षति को ऐड ऑन कवर के रूप में राज्य सरकार के खर्च पर अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है। इस तरह के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PMFBY के तहत जंगली जानवरों द्वारा फसलों की नुकसान को अधिसूचित नहीं किया गया है।

PMFBY में स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत इस खतरे को शामिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, "स्थानीय जोखिम के तहत जंगली जानवरों के हमले और धान की फसल में बाढ़ से होने वाली फसल नुकसान निर्धारित" करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इन जोखिमों को कवर करने के लिए सिफारिशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ): PMFBY के तहत शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

योजना के तहत विगत तीन वर्षों में जौनपुर जिले में धान की फसल के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण/सीजन-एंड दावों के तहत भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

आईसी का नाम	वर्ष	नामांकित आवेदन	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किए गए आवेदन
		(संख्या में)	(रुपये में)		(संख्या में)
एसबीआई जनरल	2023-24	13,750	3,073,663	3,066,102	1,388
	2024-25	31,014	967,944	951,203	1,132
	2025-26	57,283	46,329,128	44,793,170	29,253
कुल		**102,047**	**50,370,735**	**48,810,476**	**31,773**

(ङ): ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

इस सीजन के लिए पूरे देश में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों से लिया जाने वाला शुल्क, जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2% है, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% बीमा राशि निर्धारित है। शेष बीमा प्रीमियम, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) में यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खरीफ 2023 से वैकल्पिक जोखिम अंतरण तंत्र (ARTM) कार्यान्वित किया गया है। ARTM मानक PMFBY के अतिरिक्त तीन वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल प्रदान करता है, जिनमें कप-एंड-कैप मॉडल (80:110), कप-एंड-कैप मॉडल (60:130) और लाभ-नुकसान साझाकरण मॉडल शामिल हैं। इसके तहत, निर्धारित सीमा से कम दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष या भारत की संचित निधि में वापस चला जाएगा, जैसा भी मामला हो। इसके अतिरिक्त, निर्धारित सीमा से अधिक दावों के मामले में, केंद्र और राज्य दोनों को दावों का भुगतान करना होगा।
